Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

# भारत में संघवाद व्यवस्था - ऐतिहासिक अध्ययन

**Babita***

Research Scholar, Political Science Department, M.D.U. Rohtak, Haryana, India

***सारांश –*** ***भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था तभी से भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता व समानता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति देश प्रमुख व प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल प्राप्त नेता को बनाया जाता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र विश्व के विभिन्न देशों में फैला है। भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है और देश की जनसंख्या अधिक होने से कार्य भार बढ़ जाता है। जिसके कारण भारत ने संघवाद व्यवस्था को अपनाया है।***

***मुख्य शब्द: लोकतंत्र, संघवाद, सरकार संसद, एकात्मक, विकेन्द्रीकरण***

----------X----------

भारतीय शासन प्रणाली में संघवाद प्रणाली को अपनाया गया है। संघवाद की आवश्यकता देश की परिस्थितियों व जनसंख्या वृद्धि के कारण कार्यभार में वृद्धि के कारण केन्द्र के भार को कम करने के लिए राज्यों को शक्तियों का बटंवारा कर दिया। संघात्मक का अर्थ है कि शक्तियों का बटंवारा केन्द्र व राज्यों में निश्चित अनुपात में किया जायेगा। जब सारी शाक्तियाँ केन्द्र के पास होती है वह व्यवस्था एकात्मक प्रणाली कहलाती है। लेकिन जब शाक्तियाँ केन्द्र व राज्यों में बंट जाती है तो वह प्रणाली संघवाद कहलाती है।

26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसके साथ संघवाद प्रणाली के स्वरूप को अपनाया गया था। भारत में अमेरिका की संघात्मक प्रणाली से भिन्न प्रणाली अपनाई गई है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली के साथ, अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी अपनाया गया है। भारतीय संघात्मक प्रणाली, कनाडा की संघात्मक प्रणाली पर आधारित है।

भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से संघात्मक प्रणाली का वर्णन नहीं किया है। अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ' कहा है। भारत संघ की ईकाईयों को भारत से अलग होने का अधिकार नही है।

भारतीय संविधान का निमार्ण करते समय इस बात पर ध्यान दिया कि भारत एक विविधता वाला देश है। इसलिए यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार सही रहेगी। भारत में विभिन्न लिंग, धर्म, जाति, वंश के व्यक्ति निवास करते है। इसलिए यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था सटीक होगी। लेकिन फिर भी आलोचको के माध्यम से भारतीस संघात्मक व्यवस्था को अर्द्ध संघात्मक व्यवस्था जॉन आस्टिन द्वारा कहा गया है।

भारतीय संघात्मक व्यव्सथा के पक्ष में दो तर्क दिऐ जाते है:

1. भारत की सीमा-रेखा विस्तृत होने के कारण देश की एकता व अखण्डता के लिए संघात्मक व्यवस्था आवश्यक है।

2. भारत में विभिन्न प्रकार के समूहों की व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए संघात्मक व्यवस्था आवश्यक है।

## भारत में स्वतंत्रता से पूर्व संघात्मक प्रणाली का विकास:

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान केन्द्रीकृत प्रणाली को अपनाया गया था और सारी शक्तियाँ ब्रिटिश प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता था। सन् 1861 में ब्रिटिश केन्द्रीकृत प्रणाली में बदलाव आया और 1870 में लार्ड लिट्न ने भूमि-राजस्व, कानून, न्याय के विषयों को प्रान्तों में सौप दिया गया। इससे विकेन्द्रीकृत की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से 50 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रान्तों को प्रदान किया था। भारत में भारत सरकार अधिनियम के 1935 के माध्यम से

www.ignited.in

सबसे पहले संघवाद शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार भारत में संघवाद का जन्म हुआ।

## स्वतंत्रता पश्चात् भारत में संघवाद का विकास:

स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के विविधता वाले स्वरूप को पहचाना क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मो, नस्लों, वंशो व जातियों वाले व्यक्ति निवास करते है। इसलिए भारत में शक्तियों का केन्द्रीकरण न करके बल्कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। यहाँ पर संघवाद प्रणाली की आवश्यकता है।

भारत संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के कारण मतभेद बना हुआ था परंतु संघवाद व्यवस्था के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया गया। इसके साथ-2 केन्द्र सरकार के शक्तिशाली होने का भी प्रावधान संविधान में किया गया। संघात्मक व्यवस्था की स्थापना भारतीय राज्यों की सहमति से नहीं की गई है। भारत के संविधान में संघात्मक व एकात्मक दोनों के लक्षण पाऐ जाते है।

## भारतीय संघवाद प्रणाली के लक्षण:

भारतीय शासन में संघवाद व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसे लक्षण मुख्य इस प्रकार से है -

## शक्तियों का विभाजन

यह प्रावधान भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें शक्तियाँ केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है।

## दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान

द्विसदनीय विधायिका, संविधान का सर्वोच्च स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व सर्वोच्चता, इसमें न्यायपालिका के माध्यम से संविधान के अनुरूप कानूनों की व्याख्या की जाती है।

## एकात्मक लक्षण:

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता पाई जाती है, सिर्फ केन्द्र की नागरिकता का प्रावधान है। शक्ति का विभाजनकेन्द्र के पक्ष में किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही राज्य वित्त मामलों में केन्द्र सरकार पर निर्भर होता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते है।

## केन्द्र सरकार के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण:

केन्द्र सरकार को शक्तिशाली बनाने का एक कारण भारत का ऐतिहासिक कारण और दूसरा देश की एकता व अखंडता बनाऐ रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के कारण भारत को शक्तिशाली बनाने की माँग की जाती है।

## केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए आयोग:

भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार व संबंध बनाऐ रखने के लिए सरकार के द्वारा समय-**2** पर कई आयोगों का गठन किया गया है। जो निम्न प्रकार से है।

## प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग -

इस आयोग का गठन 1966 में किया गया। इसके अध्यक्ष हनुमन्तैया थे। इनकी मुख्य सिफारिशों निम्न थी।

राज्यों में 356 का प्रयोग एकता व अखण्डता के लिए किया जाऐ। राज्यों के लिए वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की जाये।

समवर्ती सूची पर कानून केन्द्र व राज्यों के माध्यम से परस्पर सहमति से बनाये जाऐ।

**राजमन्नार आयोग:**

सन 1969 में वी.पी. राजमन्नार की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1971 में तमिलनाडू सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया।

**सरकारिया आयोग:**

सरकारिया आयोग केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सबसे प्रमुख आयोग माना जाता है। 1983 में रणजीत सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था।

इसके बाद केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में पूंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल, **2007** को किया गया था।

7वीं अनुसूची में 246 अनुच्छेद में तीन सूचियों का वर्णन किया गया है।

www.ignited.in

### ससंद की राज्य सूची के विषयों पर कानून

निर्माण शक्ति अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कत 2/3 से राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर राज्यों की सहमति से कानून बनाया जा सकता है।

### प्रशासनिक संबंध:

संविधान के भाग XI के अध्याय-2 में 256-263 अनुच्छेद तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रशासनिक शक्तियाँ केन्द्र व राज्यों के बीच की गई है। परंतु इसमें केन्द्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली हे। प्रत्येक राज्य को अपनी राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए ताकि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई बाधा न हो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है।

अनुः 263 में अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था भी की गई है जिसके अध्यक्ष गृहमंत्री होते है। प्रशासनिक संबंधों में एकता व अखण्डता को बनाऐ रखने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1962 में किया गया था।

### केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध -

भाग-12 अध्याय 1 केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। यह विभाजन 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। केन्द्र व राज्य दोनों का राजस्व वितरण स्वतंत्र रूप से किया है। इसमें संघ सरकार संघ सूची के विषयों पर कर लगा सकती है और राज्य सरकार अपने विषयों परकर लगा सकती हे।

### संघ अधिकार में कर-राजस्व:

सीमा शुल्क, शिक्षा कर, निगम कर, सेवा कर, आय-कर पर अधिकार आदि।

### राज्यों के अधिकार में कर-अरोपित:

भू-राजस्व, उत्तराधिकार शुल्क, संविदा शुल्क कृषि भूमिकर आदि।

### वर्तमान समय में भारतीय संघवाद का विकास:

भारतीय संविधान में 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन करके 1992 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई इससे संघात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्राप्त हुई है।

सन् 1996 के बाद गठबंधन की सरकार का प्रचलन केन्द्र में चला था जिनके कारण आपस में केन्द्र-राज्य संबंधों में मजबूती आई और सहकारी संघवाद का रूप उभर कर सामने आया।

### संदर्भ सूची

1. फाइनर, हरमन (1977) आधुनिक सरकार का सिद्धांत और व्यवहार, दिल्ली, भारत: सुरजीत
2. आर.एस.सरकार (1986), भारत में संघ-राज्य संबंध, नई दिल्ली, भारत
3. बासु, डी.डी. (1985), भारत का सवैधांनिक कानून, दिल्ली
4. सुन्दरराम, के.के. (1972), भारत का सवैधांनिक कानून, दिल्ली
5. लॉक, जॉन (1690), सरकार के दो ग्रंथ, लंदन
6. वीहयर के.सी. (1953), भारतीय संघवाद, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय
7. नंदा एस.एस. (1990) भारतीय संविधान और सरकार, नई दिल्ली, भारत: आधुनिक
8. भारतीय संविधान (1986), दिल्ली, भारत: ईस्ट्रन
9. राजा राम, कल्पना (2011), भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति व्यवस्था, नई दिल्ली, भारत: स्पेक्ट्रम
10. अग्रवाल, आर.आर. (2005), भारत का संविधान विकास और राष्ट्रीय आंदोलन, नई दिल्ली, भारतः एस. चाँद

www.ignited.in

**Corresponding Author**

**Babita***

Research Scholar, Political Science Department, M.D.U. Rohtak, Haryana, India